रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 31 मार्च, 2003/10 चैत्र, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

शिमला, 20 मार्च, 2003

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (उप० नि०) 2001-2-592-95.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड, बसन्तपुर की ग्राम पंचायत धरोगड़ा के सदस्य, ग्राम पंचायत धरोगड़ा, वार्ड नं० 3, धरोगड़ा जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुए थे ने अपने पद से सरकारी नौकरी में नियुक्ति के कारण त्याग-पत्र दे दिया है । जिसे खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है । खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर ने इस त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, सत्य पाल, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 130(1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं ।

4290-राजपत्र/2003-31-3-2003—1,386. (3827) मूल्य : 1 रुपया ।

शिमला, 20 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (उप0 नि0) 2001-2-588-91.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम पंचायत बल्देयां के सदस्य, ग्राम पंचायत बल्देयां, वार्ड नं0 5, कांडा जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुए थे ने अपने पद से सरकारी नौकरी में नियुक्ति के कारण त्याग-पत्र दे दिया है । जिसे खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है । खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर ने इस त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, सत्य पाल, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 130(1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं ।

शिमला, 20 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (उप0 नि0) 2001-2-596-99.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम पंचायत शकरोडी के सदस्य, ग्राम पंचायत शकरोडी, वार्ड नं0 1, मकडछान जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुए थे ने अपने पद से सरकारी नौकरी में नियुक्ति के कारण त्याग-पत्र दे दिया है । जिसे खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है । खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर ने इस त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, सत्य पाल, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 130 (1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं ।

सत्य पाल,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 20 मार्च, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-1715-20.—यह कि श्री चमारू राम, सदस्य, ग्राम पंचायत बेरल, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो कि निम्न प्रकार है :—

(ण) यदि उसके दो से अधिक सन्तान है। परन्तु (ण) के अधीन निर्हरता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने के तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है। अब तक एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है।

यह कि विकास खण्ड कुनिहार, ने अपने पत्र संख्या के0 बी0 (पंच) 75/2001-7612, दिनांक 28-2-2003 द्वारा सूचित किया है कि श्री चमारू राम, सदस्य, ग्राम पंचायत बेरल, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के 8 जून, 2001 के पश्चात् तीन से अधिक चौथी संतान दिनांक 13-3-2002 को हुई है। जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

सोलन, 20 मार्च, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-1721-26.—यह कि श्री सुरेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29, राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है :—

(ण) यदि उसके दो से अधिक सन्तान है। परन्तु (ण) के अधीन निर्हरता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथा स्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने के तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।

अतः क्यों कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है।

यह कि विकास खण्ड नालागढ़, ने अपने पत्र संख्या डी बी एन-(पंच) उप-चुनाव/2003-6030, दिनांक 27-2-2003 द्वारा सूचित किया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29, राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) के 8 जून, 2001 के पश्चात् तीन से अधिक चौथी सन्तान दिनांक 16-11-2002 को हुई है। जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

कार्यालय आदेश

सोलन, 20 मार्च, 2003

संख्या एस0एल0एन0-592(पंच)/92-III-1708-14.—खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन ने उनके पत्र संख्या डी बी एन (पंच) 2003-6101, दिनांक 6-3-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड से श्रीमती लाजवन्ती, पंचायत सदस्या, वार्ड नं0 4, का निधन दिनांक 20-1-2003 को हो गया है। जिसके फलस्वरूप उनका पद रिक्त हो गया है।

अतः मैं, भरत खेड़ा, उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थान को उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से रिक्त घोषित करता हूं।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित